**पंजीकृत डाक से, पावती सहित**

सं.562/एफएए/2015-16/ए-01 30 अप्रैल, 2015

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारीभारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)अपील सं.: 01/2015-16**

**श्री राम नारायण धनका द्वारा अपने दिनांक 23/02/2015 के आवेदन के संबंध में प्रपत्र**

**पृष्ठभूमि :**

श्रीराम नारायण धनका, 10 ए, राजोरिया स्कूल के पास, हसनपुरा सी, जयपुर – 6, ने अपने दिनांक 23/02/2015 के आवेदन के माध्यम से बैंक से विगत १५ वषों में संसाधन विकास तथा प्रबंध संस्था, सी-६२, बालनगर, करतारपुरा, जयपुर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर एवं Institute of Social Development, Udaipur द्वारा आरक्षण नीति विषय पर आयोजित कार्यशालाओं में कब-कब तथा कितने कर्मचारियों / अधिकारी को भाग लेने हेतु नामित किया गया है, आदि से सम्बंधी सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया था | उक्त आवेदन का निपटारा बैंक के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने दिनांक 20/03/2015 (जोकि गलती से 20/02/2015 का लिखा गया प्रतीत होता है) के आदेश सं.1482 द्वारा किया गया जिसमे आवेदन कर्ता को यह सूचना दी गयी कि उक्त संस्थानों द्वारा आरक्षण निति विषय पर आयोजित कार्यशाला में किसी भी कर्मचारी/ अधिकारी को नामित नहीं किया गया था| उस आदेश के सम्बन्ध में आवेदन कर्ता ने अपनी उपरोक्त अपील के साथ कुछ सूची भेजी है जिसके आधार पर यह कहा है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त आदेश में सही सूचना नहीं दी है !

**निर्णय :**केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा मामले से सम्बन्धी सूचना सम्बंधित विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर दी गयी थी! आवेदन द्वारा अपनी अपील के साथ जो कागजात भेजे है उनसे यह साफ़ नहीं होता है वह किस कार्यशाला या किस तरह की कार्यशाला आदि से

**: 2 :**

सम्बन्धी हैं! फिर भी आवेदक द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों कि प्रति के आधार पर पुनः जानकारी प्राप्त कर उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सकता है ! इसलिए यह आदेश किया जाता है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी आवेदक द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों कि प्रति के आधार पर पुनः जानकारी प्राप्त कर उन्हें वस्तुस्थिति से इस आदेश की प्राप्ति के २० दिन में अवगत करवा देवें.

आदेश तदनुसार ।ह/-

**[शैलेन्द्र महलवार]मुख्य महाप्रबंधक तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी**

दिनांक 30/04/2015 का पृष्ठांकन सं.562ए/एफएए/2015-16/ए-01

1) श्री श्रीराम नारायण धनका, आई. आर. एस., १० ए, राजोरिया स्कूल के पास, हसनपुरा सी, जयपुर – 6

2) श्री उ.शं. लाल, महाप्रबंधक एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सिडबी, प्रधान कार्यालय, लखनऊ, उ.प्र.

3) मु. म. प्र. (मा.स.उ.) कृपया तथ्यों की जाँच कर के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को सूचना देवें.

**[सदा बिहारी साहु]सहायक महाप्रबंधक (प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का कार्यालय)**